

विविध दीवानी वाद संख्या 29/2018
मनीष बनाम शैलेन्द्र आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p><u>14.08.2019</u></p> <p>वकुलाय पक्षकारान उपस्थित।</p> <p>विपक्षी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपटित धारा 151 सि.प्र.सं. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विपक्षी सं. 2 व्यवसाय हेतु बाहर होने से तामील उसको स्वयं को नहीं होने के कारण वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा वापस आने पर उसे तामील का ज्ञान होने पर दिनांक 03.06.2019 को जानकारी करने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश के बारे में पता चला। प्रकरण सम्पत्ति से संबंधित होकर अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है और यदि दोतरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाता है तो वादी को कोई असुविधा या नुकसान नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकतरफा आदेश निरस्त कर दोतरफा कार्यवाही का आदेश फरमाया जावे।</p> <p>वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा तथा सीधे बहस करना चाहा गया तथा बहस के दौरान तर्क दिया कि विपक्षी सं. 2 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध दिनांक 13.03.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हुआ है, जबकि उसके द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2019 को अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>इस प्रकरण में दिनांक 13.03.2019 को विपक्षी सं. 2 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। विपक्षी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2019 को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक् से प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह व्यवसाय हेतु बाहर होने से स्वयं उस पर तामील नहीं होने के कारण पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था तथा दिनांक 03.06.2019 को वापस आने पर तामील का ज्ञान होने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश की जानकारी हुई तो उसने यह</p>	

प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2019 को पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 13.03.2019 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश के पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 08.05.2019 नियत थी परन्तु विपक्षी द्वारा दिनांक 03.06.2019 को उक्त एकतरफा कार्यवाही के आदेश की जानकारी होना बताते हुए आगामी पेशी 03.07.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि मूल प्रकरण चल अचल सम्पत्ति से संबंधित होकर अवैध व शून्य घोषित कराये जाने वसीयत दिनांक 02.01.2017, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा के अनुतोष का है तथा यह प्रकरण उक्त सम्पत्ति के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का है जो अभी जवाब टी.आई. की स्टेज पर है जिसमें यदि विपक्षी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया तो वह न्याय से वंचित हो जायेगा और न्याय की ऐसी मंशा नहीं है कि कोई भी पक्ष न्याय से वंचित रहे। ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, वाद की प्रकृति को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए विपक्षी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं.-2 के विरुद्ध दिनांक 13.03.2019 को पारित किया गया एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त किया जाता है एवं उसके संबंध में कार्यवाही पुनः द्विपक्षीय की जाती है।

पत्रावली वास्ते जवाब टी.आई. हेतु दिनांक 17.09.2019 को पेश हो, तब तक अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 05.09.2018 प्रभावी रहेगा।